



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223979
CG-DL-E-29122020-223979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4150]
No. 4150]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/Pausha 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

क.अ. 4733(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

“उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 1 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“1	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, (नई रारा सं. 69 चित्तूर से कर्नाटक सीमा और नई रारा सं. 40 चित्तूर से तमिलनाडु सीमा तक), सं. 5 (नई रारा सं.16) {किमी 0.000 से किमी 3.400 (विजयवाड़ा –	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार”

विशाखापट्टनम खंड और कोवूरु-राजामुंदरी खंड (14.939 किमी)}, सं. 9 {नया रारा 65 किमी 266.400 से किमी 270.340 [हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड], सं. 18 (नई रारा सं. 40 कडप्पा से चित्तूर), सं. 43, (नई रारा सं. 26 ओडिशा सीमा से नटवालसा तक), नया रारा-67 {किमी 589.00 से किमी 741.950 तक (मायदुकुर – दोरनाला टी-जंक्शन – आत्माकुर - नेल्लौर खंड) को छोड़कर}, नई रारा सं. 42, (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से अनंतपुराम्), सं. 205 (नई रारा सं. 42 अनंतपुर – मदनापल्ली और नई रारा सं. 71 मदनापल्ली - रेनूगुंटा), सं. 214 (नई रारा सं. 165 पमारू से दिगामारू तक और नई रारा सं. 216 दिगामारू से काथीपुडी तक), सं. 214ए (नई रारा सं. 216 दिगामारू से ओंगोल तक), सं. 219 (नई रारा सं. 42 मदनापल्ली से तमिलनाडु सीमा तक), सं. 221 {किमी 32.735 से किमी 71.200 तक (चंद्रागुंडेम - आ. प्र./तेलंगाना सीमा खंड) को छोड़कर}, (नई रारा सं. 30 छत्तीसगढ़/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./तेलंगाना सीमा और तेलंगाना सीमा से विजयवाड़ा तक), सं. 234 (नई रारा सं. 75 कर्नाटक सीमा से तमिलनाडु सीमा), नई रारा सं. 71 [रेनूगुंटा से नायदुपेटा (नया रारा 16)], नई रारा सं. 167 (कर्नाटक/आ. प्र. सीमा से आ. प्र./कर्नाटक सीमा), नई रारा सं. 167ए, नई रारा सं. 167बी, नई रारा सं. 167के, नई रारा सं. 167बीजी, नई रारा सं. 326 (ओडिशा सीमा से चित्तूर तक), नई रारा सं. 326ए, {ओडिशा सीमा से नरसन्नापेट (नई रारा सं. 16 पर)}, नई रारा सं. 340 [रायचोटी (नया रारा-40) से करबलाकोटा (नया रारा-42) तक], नई रारा सं. 340सी (रारा-765 पर कुरनूल से दोरनाला), नई रारा सं. 342, नई रारा सं. 365बीबी, नई रारा सं. 516डी, नई रारा सं. 516ई, नई रारा सं. 544डी {किमी 212.983 से किमी 322.800 (गिडुनूर – विनुकोंडा खंड) को छोड़कर}, नई रारा सं. 544डीडी, नई रारा सं. 544ई, नई रारा सं. 565 {किमी 86.057 से किमी 133.922 तक और किमी 154.900 से किमी 361.327 तक (नागार्जुनसागर डैम – दाउलापल्ली - मरकापुरम - वगमपल्ली - दोरनाला टी-जंक्शन खंड तक छोड़कर) और किमी 425.400 से किमी 509.400 (पेंचलकोना - येरपेडू खंड) को छोड़कर}, नई रारा सं. 716, नई रारा सं. 716ए और नई रारा सं. 765 [तेलंगाना सीमा से टोकापल्ली (नया रारा-565) के उतने भाग जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।
--

[फा. सं. एनएच-14013/3/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 4682(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

S.O. 4733(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“1	So much of National Highways No.4 (New NH No. 69 from Chittoor to Karnataka Border and New NH No. 40 from Chittoor to Tamil Nadu Border), No. 5(new NH No. 16) [from Km. 0.000 to Km. 3.400 (Vijaywada-Vishakhapatnam section and Kovvuru Rajahmundry Section (14.939 Km)).No. 9 (new NH 65 from Km. 266.400 to Km. 270.340 [Hyderabad-Vijaywada Section, No.18 (New NH No. 40 from Cuddapah to Chittoor), No. 43 (New NH No.26 from Orissa Border to Natavalsa), New NH-67 {excluding from Km 589.00 to Km 741.950} (Mydukur-Dornala T Junction— AtmakurNellore Section)}, new NH No.42 (from Karnataka/AP border to Ananthapuramu), No. 205 (New NH No.42 from Annantapur-Madanapalli and New NH No. 71 from Madanapalli-Renigunta), No.214 (New NH No. 165 from Pamarru to Digamarru and New NH No. 216 from Digamarru to Kathipudi), No.214A (New NH No.216 from Digamarru to Ongole), No.219 (New NH No.42 from Madanapalli to Tamil Nadu Border), No.221{excluding from Km 32.735 to Km 71.200 (ChandragundemAP/Teleangana border Section)}, (New NH No. 30 from Chattisgarh/AP border to AP/Telangana border and from Telangana border to Vijaywada), No.234 (New NH No.75 from Karanataka Border to Tamil Nadu Border), New NH No. 71 [from Renigunta to Nayudupeta (New NH-16)], New NH No.167 (from Karnataka/AP boder to AP/Karnataka border), new NH No.167A, new NH No.167B, new NH No. 167K, new NH No.167BG, new NH No. 326 (from Odisha border to Chinturu), new NH No. 326A {from Odisha border to Narasannapet (on new NH No. 16)}, New NH No.340 [from Rayachoti (New NH-40) to Kurabalakota (New NH-42)], new NH No. 340C (from Kurnool to Dornala on NH 765), new NH No. 342 , new NH No. 365BB , new NH 516D, new NH 516E, new NH No. 544D {excluding from Km 212.983 to km 322.800(Giddanur- Vinukonda Section)}, new NH No. 544DD, new NH No. 544E, New NH No.565{excluding from Km 86.057 to Km 133.922 and from km 154.900 to Km 361.327 (Nagarjunasagar- Dam- Davulapally- Markapuram-Vaggampalle- Dornala T Junction Section)} and excluding from Km 425.400 to Km 509. 400 (Penchalakona-Yerpedu Section)}, new NH 716, new NH No.716A and New NH No.765 [from Telangana Border to Tokapalli (New NH-565)] as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh”

[F. No. NH-14013/3/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 4682 (E), dated the 23rd December, 2020.